न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 35/2014 रिव्यू प्रार्थना पत्र

1. श्री मन्दिर मूर्ति आसन स्थान हुरड़ा के मुख्तियार श्री रतन नाथ पुत्र श्री माधु नाथ जोगी निवासी सुलतानपुरा तह0 हुरडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्रीमती सुगन बाई पत्नी कालूराम झंवर निवासी भीलवाडा
2. श्रीमती सीता देवी पत्नी रामेश्वर लाल झंवर निवासी भीलवाडा
3. श्री बनवारी लाल पिता कालूराम झंवर निवासी भीलवाडा
4. तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र रिव्यू रेफरेन्स सं. 100/2006
निर्णय दिनांक 12.02.2007

उपस्थित –

1. श्री शंभूदास वैष्णव अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – विपक्षी सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.02.2017

प्रार्थी की ओर से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र 11.09.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सुल्तानपुरा तहसील हुरडा में एक खाता जिसके साबिक आराजी सं. 192/01, 192/02, 193, 194, 195 हैं । जिसके हाल आराजी सं. 683,384,704,711,712,713,714,715,719 एवं 420 है, जो आसन स्थान हुरडा के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है व पूर्व में भी साबिक आराजियात श्री बनवारी लाल पिता कालूराम झंवर निवासी भीलवाडा को बेचान कर दी और उनके नाम खातेदारी हक से भी दर्ज हो गई एवं तहसीलदार हुरडा ने न्यायालय में रेफरेन्स पेश किया । प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण में सेवन से साबिक आराजी नम्बर 124 के हाल आराजी नम्बर 497 रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा जो किस्म बंजर हैं। जिसको रेफरेन्स में नहीं लिखा गया जबकि उक्त आराजी भी रेफरेन्स में दर्ज करना चाहिए था । मगर सेवन से तहसीलदार हुरडा द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें उक्त आराजी रह गई । इसलिए यह रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर निवेदन है कि पूर्व के रेफरेन्स के साथ साथ इस आराजी का भी निर्णय किया जाना न्याय के लिए

आवश्यक है , नहीं तो आसन स्थान देह को बड़ा भारी नुकसान होगा । पूर्व निर्णय में बनवारी लाल पिता कालूराम झंवर निवासी भीलवाडा के खिलाफ निर्णय प्रदान किया गया और उक्त भूमि इनके नाम से राजस्व रिकार्ड में कम कर पुनः आसन स्थान हुरडा के नाम पर दर्ज की गई। इसी तरह विपक्षीया नम्बर एक दो के नाम पर अब भी आसन स्थान दो की जमीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं, जबकि आसन देह की जमीन किसी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। चूंकि यह भूमि देव स्थान की है और इस भूमि को किसी अन्य को बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है , परन्तु श्री निर्मल नाथ गुरू मान नाथ योगी निवासी हुरडा ने गलत बिकाव कर रखी है और न्यायालय के पूर्व रेफरेन्स से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से भी रेफरेन्स नम्बर एल.आर./3585/2007 से भी श्री बनवारी लाल पिता कालूराम झंवर के नाम से उक्त आराजी निरस्त करने का आदेश हुआ और पुनः बनवारी लाल पिता कालूराम के नाम पर जिस आराजियात का खाता रदो बदल हुआ उसको निरस्त कर पुनः आसन देह के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ । प्रार्थी को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 08.07.2014 को प्राप्त होने पर हाल आराजी नम्बर 497 रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई जिससे प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया हैं, जो जानकारी से अंदर मियाद पेश है । इसलिए उक्त आराजी को भी रेफरेन्स में शामिल किया जाकर विपक्षीया नम्बर एक व दो के नाम पर जो खातेदारी हक से दर्ज है जिसको खारिज कराई जाकर पुनः आसन स्थान देह के नाम दर्ज की जावे और यह भूमि ग्राम सुल्तानुपुरा तहसील हुरडा के नाम पर जमाबन्दी में दर्ज है और इन्ही आराजियात से आसन स्थान देह की देखभाल होती है व खर्चा चलता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर साबिक आराजी नम्बर 124 के हाल आराजी नम्बर 497 रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा को पुनः शामिल कराया जाकर निर्णय किया जाना न्याय के लिए आवश्यक है ।

प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.09.2014 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया ।

विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 ने रिव्यू प्रार्थना पत्र के संबंध में दिनांक 17.11.2015 को अपना जवाब प्रस्तुत किया । जिसमें बताया गया कि साबिक आराजी नम्बर 124 जिसके हाल आराजी नं. 497 रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा को रेफरेन्स में नहीं लिखा गया , जबकि उक्त आराजी भी रेफरेन्स में लिखा जाना

चाहिये था इसलिए इस आराजी बाबत् यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है , जबकि किसी निर्णय का पुर्नविलोकन उसमें वर्णित तथ्यों के बाबत् पारित निर्णय पर ही हो सकता है । जब उक्त वादग्रस्त आराजी सं. 124 जिसके हाल आराजी नम्बर 497 है पूर्व में रेफरेन्स में दर्ज ही नहीं थी तो उस बाबत् पूर्व में कोई निर्णय ही पारित नहीं किया गया तो उक्त आराजी बाबत् रिव्यू किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है तथा न ही उक्त आराजी बाबत् रिव्यू प्रार्थना पत्र के जरिये कोई निर्णय पारित किया जा सकता हैं। पूर्व में जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया था, वह तहसीलदार हुरडा द्वारा पेश किया गया जिसमें प्रार्थी पक्षकार ही नहीं हैं। अतः सादर निवेदन है कि प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में रिव्यू प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण में सेवन से साबिक आराजी नम्बर 124 के हाल आराजी नम्बर 497 रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा जो किस्म बंजर हैं। जिसको रेफरेन्स में नहीं लिखा गया जबकि उक्त आराजी भी रेफरेन्स में दर्ज करना चाहिए था । मगर सेवन से तहसीलदार हुरडा द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें उक्त आराजी रह गई । इसलिए यह रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर निवेदन है कि पूर्व के रेफरेन्स के साथ साथ इस आराजी का भी निर्णय किया जाना न्याय के लिए आवश्यक है , नहीं तो आसन स्थान देह को बड़ा भारी नुकसान होगा ।

विपक्षीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई । जिसमें बताया गया कि प्रार्थी ने जिन आधारों पर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं हैं, क्योंकि पूर्व में जो रेफरेन्स प्रार्थनापत्र सं. 100/2006 प्रस्तुत हुआ उससे हस्तगत साबिक आराजी सं. 124 जिसके हाल आराजी नम्बर 497 रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा के बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा है , अर्थात पूर्व में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सं. 100/2006 में उपरोक्त वर्णित आराजियात का कोई वर्णन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में रिव्यू प्रार्थना पत्र के जरिये उक्त वर्णित आराजी बाबत् कोई अनुतोष प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । रिव्यू प्रार्थना पत्र खारित किया जावे ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने रेफरेन्स प्रकरण सं. 100/2006 उनवान सरकार बनाम बनवारीलाल

पिता कालूराम झंवर निवासी रेल्वे स्टेशन कोतवाली के पास, भीलवाडा वगैरह निर्णय दिनांक 12.02.2007 के आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 तहसीलदार हुरडा द्वारा पेश किया , उसमें सहवन से साबिक आ.नं. 124 के हाल आ.नं. 497 रकबा 91.15 बीघा जो किस्म बंजर है । जिसे उक्त आवेदन पत्र में नहीं लिखा गया , जिसे लिखा जाना चाहिए था । इस आवेदन पत्र के संबंध में रिव्यू चाहा गया है । रेफरेन्स प्रकरण का निर्णय दिनांक 12.02.2007 को होकर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से भी रेफरेन्स/एल.आर./3585/2007/ जिला भीलवाडा से दिनांक 8.7.2014 को स्वीकार किया जा चुका है । पत्रावली के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि ग्राम सुल्तानपुरा तहसील हुरडा के आ.नं. 497 रकबा 91.15 बीघा भूमि आसन देह हुरडा के नाम वक्त बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2014 की जमाबंदी से स्पष्ट है । बाद में मगनलाल के नाम भूमि दर्ज की गई जिसका कोई आधार नहीं है । अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरता है । अतएव–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिव्यू प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रकरण सं. 100/2006 उनवान सरकार बनाम बनवारीलाल पिता कालूराम झंवर निवासी भीलवाडा वगैरह निर्णय दिनांक 12.02.2007 के आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 तहसीलदार हुरडा के संबंध में ग्राम सुल्तानपुरा तहसील हुरडा के आ.नं. 497 रकबा 91.15 बीघा भूमि आसन देह हुरडा के नाम वक्त बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2014 की जमाबंदी से स्पष्ट है । बाद में मगनलाल के नाम भूमि दर्ज की गई जिसका कोई आधार नहीं है । जिससे प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि तहसीलदार हुरडा ग्राम सुल्तानपुरा के आ.नं. 497 रकबा 91.15 बीघा भूमि के संबंध में रेफरेन्स न्यायालय में उक्त आदेश के तीन माह में दर्ज करवावें । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.2.17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा